यू0पी0 नीट यू0जी0–2019 की द्वितीय चक्र की ऑन लाईन कांउसिलिंग से पूर्व अभिलेख सत्यापन कराये जाने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश/सूचना

राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) में प्रवेश हेतु यू0पी0 नीट यू0जी0 2019 की द्वितीय चक्र की ऑन लाईन कांउसिलिंग से पूर्व अभिलेख सत्यापन कराये जाने हेतु महत्वपूर्ण तिथियॉ निम्नवत् निर्धारित की जाती है–

स्टेट रैंक	अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित होने की तिथियॉ
1 से 10000	25.07.2019
10001 से 16000	26.07.2019
16001 से 22108	27.07.2019
छूटे हुए अभ्यर्थी	28.07.2019

- उपर्युक्तानुसार अभ्यर्थी को अपनी स्टेट रैंक के आधार पर सम्मुख उल्लिखित तिथि पर पंजीकरण के समय चुने गये नोडल सेंटर पर स्वयं उपस्थित होना होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की कांउसिलिंग के माध्यम से आवंटन प्राप्त कर संबंधित नोडल सेंटर पर प्रवेश प्रकिया पूर्ण करा चुके है, उन्हे अभिलेखों के पुनः सत्यापन की आवश्यकता नही है।
- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की कांउसिलिंग प्रकिया के दौरान अभिलेखों का सत्यापन करा चुके है, **किन्तु उन्हे कोई सीट आवंटित नही हुई है, उन्हे पुनः अपने डाक्यूमेन्ट सत्यापन की कोई आवश्यकता नही है, एवं उ**नके द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि भी पुनः जमा करने की कोई आवश्यकता नही है।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम चक्र की कांउसिलिंग से सीट आवंटित हुई थी, और किन्ही कारणों से उनके द्वारा प्रवेश नही लिया गया है, यदि ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते है तो ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः अपना डाक्यूमेन्ट वैरिफिकेशन कराये जाने के साथ–साथ राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु रू0 30,000/–एवं निजी क्षेत्र की मेडिकल कालेजों की सीटों हेतु रू0 2,00,000/–एवं निजी क्षेत्र की डेंटल कालेज की सीटों हेतु रू0 1,00,000/–सिक्योरिटी धनराशि का **सी0टी0एस0** बैक ड्राफ्ट जो "**महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0**"(***Director General, Medical Education & Training, U.P.*** **payable at Lucknow**) के पक्ष मे देय होगा, सम्बन्धित नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने पंजीकरण के समय व्यक्तिगत डाटा भरते समय कतिपय त्रुटियॉ (यथा अभ्यर्थी की श्रेणी, पूर्व से बी0डी0एस0 में अध्यनरत्, निवास संबंधी इत्यादि) हो गयी है, को अभिलेखो के सत्यापन के समय नोडल अधिकारी के संज्ञान में लाते हुये सही करा सकते है।
- अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ डाक्यूमेन्ट वैरिफिकेशन सेंटर पर उपस्थित होना अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन के उपरान्त अभ्यर्थी ने जो प्रिन्ट आउट प्राप्त किया था, को अपने अभिलेखों के सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- समस्त अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि अभिलेखों के सत्यापन व धरोहर धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करने के पश्चात, कम्प्यूटर जनरेटेड (Document Verification & Security Money Reciepts) अवश्य प्राप्त कर ले।

दिनांक– 24 जुलाई 2019

महानिदेशक